न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–137 / 2014

1– रामकुवार पुत्र हजारी

2– चौथू पुत्र हजारी

3– रामनिवास पुत्र हजारी समस्त जाति अहीर नि0 ग्राम पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

4– महेश पुत्र सुन्दर

5– बालू पुत्र रामनिवास समस्त जाति जाट नि0 ग्राम पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र श्याम लाल जाति अहीर निवासी–प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

2. मन्दिर मुर्ति मुरली मनोहर जी, विराजमान प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर जरिये पुजारी संतदास जी, व्यवस्थापक–श्याम लाल पुत्र श्री रिछपाल, मक्खन लाल पुत्र स्नश्रेही लाल, गोपाल पुत्र विशम्भरदयाल, महेन्द्र पुत्र कन्हैया लाल, सागर पुत्र रामोवतार, रामकरण पुत्र रूडा समस्त जाति महाजन निवासी–ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

3. जय राम पुत्र श्री श्याम लाल अहीर नि0 प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

4–भैरू राम पुत्र गोदा राम जाति अहीर नि0 प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

5. सूगला पुत्र भॅवरा जाट जाति जाट निवासी–प्रागपुरा तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

6. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री हेमन्त दीक्षित अपीलान्ट्स की ओर से।

2–श्री रामचन्द्र देगडा रेस्पोडेंट सख्या 2 की ओर से ।

2– श्री जी0 एल0 मीणा राजकीय अधिवक्ता।

:– निर्णय :– दिनांक :– 14–03–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय ए0 सी0 एम0 कोटपूतली कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली दिनांक 31 / 01 / 2014 प्रार्थना –पत्र सख्या 95 / 2012 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट सख्या 02 द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी मन्दिर मूर्ति मुरली मनोहर जी विराजमान प्रागपुरा शाश्वत नाबालिग है जिसकी देखरेख सेवा पूजा व रख रखाव पुजारी व व्यवस्थापक करते है। जिसकी खातेदारी की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 672 / 0.28,673 / 0.80,674 / 0. 80,675 / 0.01,676 / 0.19,677 / 2371 / 0.35,678 / 0.09,679 / 0.49,680 / 0.13,681 / 0.68,

682/0.66, 684/0.99, 685/0.19, 695/0.14, 760/0.85, 764/0.44 वाके मौजा पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर से होने वाली कृषि आय से मन्दिर मूर्ति के भोग खर्च आदि का कार्य चल रहा है।उक्त आराजी से अप्रार्थी सख्या 01 लगायत 09 का कोई ताल्लूक वास्ता नहीं है, अपितु अप्रार्थीगण खूंखार व लडाकू किस्म के व्यक्ति है एवं प्रार्थी की उपरोक्त भूमि में जबरन कब्जा करने को आमादा हो रहे है, तथा मौके पर नीव खोद कर निर्माण कार्य करने पर आमदा हो रहे है, तथा फर्जी दस्तावेजात तैयार कर उक्त भूमि में भूखण्ड काट कर बैचान कर रहे है एवं मौके पर निर्माण कार्य कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे है। जबकि उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है।प्रार्थी शाश्वत नाबालिग है जिसके हितों की रक्षा किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में अनअधिकृत रूप कब्जा न करे, प्रवेश न करे एवं उपरोक्त आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत ना करे। कोई निर्माण कार्य न करे, एवं मंदिर मूर्ति की भूमि की सुरक्षा हेतु उपरोक्त भूमि को कब्जे राज मे लिया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31/01/2014 के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि विधान एवं पत्रावली तथा तथ्यों के विपरीत एवं क्षैत्राधिकार–विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस सख्या 02 मूर्ति मंदिर की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने एवं वैकल्पिक अनुतोष में विवादित भूमि को कब्जे राज में लेने की प्रार्थना की गई थी, जिसपर विचारण न्यायालय ने दिनांक 30–8–2012 को मोके की यथास्थिति बनाये रखने की आज्ञा बाबत खसरा नम्बरान 672, 673,674,675,676,677/2371, 678 ,679, 680,681 से 685, 695,760,764 स्थित ग्राम पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर जारी कर दी थी। इसके बाद पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी एवं जवाब प्रार्थना–पत्र हेतु चलती रही तथा दिनांक 16–12–2013 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 31/01/2014 वास्ते जवाब प्रार्थना–पत्र हेतु नियत थी। विचारण न्यायालय ने एक ही दिन में दिनांक 31/01/2014 को जवाब भी बन्द कर दिया तथा बिना अपीलार्थीगण–प्रतिवादीगण की बहस सुने एक पक्षीय रूप से रिसीवर नियुक्ति जैसी कठोरतम आज्ञा पारित कर दी, इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा एक्स पार्टी रिसीवर नियुक्ति का आदेश कानून के सिद्धातों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेज साक्ष्य का बिना अवलोकन एवं समुचित विश्लेषण किये बिना ही एकपक्षीय रिसीवर नियुक्ति का आदेश पारित किया है, जो कि वास्तविकता यह है कि विवादित कृषि भूमियॉ कभी भी मूर्ति मंदिर मनोहर जी रेस्पोडेन्ट सख्या 02 के पक्ष में कब्जे काश्त एवं खातेदारी की नहीं रही है।हाल खसरा नम्बर 762 जिनके गत खसरा नम्बर 650 थे, का मूल खातेदार भॅवर सिंह पुत्र भूर सिंह राजपूत था।इस प्रकार अन्य कृषि भूमियों का खातेदार रूघा

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पुत्र सेडू अहीर वगैराह थे, इस कारण भी विचारण न्यायालय ने महज अपीलान्ट काबिज खातेदार काश्तकारों को उनकी कब्जे काश्त खातेदारी से वंचित करने के उद्वेश्य से एक पक्षीय रिसीवर नियुक्त जैसी कठोरतम आज्ञा पारित की है।विचारण न्यायालय ने रिसीवर नियुक्ति हेतु आवश्यक तत्वों, वेस्ट, डैमेज, ऐलीनेट तथा भूमि को खुर्द–बुर्द करने जैसी परिस्थितियॉ मौजूद नहीं होते हुये भी रिसीवर नियुक्ति का एकपक्षीय आदेश पारित किया है।विचारण न्यायालय को दोनों पक्षों का हित सुरक्षित रखना था एवं दस्तावेज साक्ष्यों के विपरीत अधिनस्थ न्यायालय को विवादित कृषि भूमि को कुछ देर के लिये मंदिर की माननी भी थी तो उन्हें नकद प्रतिभूति पर अपीलान्ट्स को कब्जे काश्त में रहने की अनुमति प्रदान किया जाना चाहिये था,किन्तु इन समस्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को आंखों से ओझल करते हुए रिसीवर नियुक्ति हेतु कठोरतम आज्ञा पारित की है।अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की सही वस्तुस्थिति को समझे बिना ही तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, खसरा गिरदावरी आदि का अवलोकन किये बिना ही एक ही दिन में एकपक्षीय रिसीवर नियुक्ति की आज्ञा पारित कर दी जो सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली दिनांक 31/01/2014 बाबत प्रार्थना–पत्र सख्या 95/2012 निरस्त फरमाई जावे एवं प्रकरण दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाई जावे, अन्यथा वैकल्पिक रूप से अपीलान्ट्स का यह भी अनुतोष है कि विवादित कृषि भूमि वाद के निर्णय तक धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त में यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया ।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकण में बिना साक्ष्य सबूत लिये एकतरफा में रिसीवर जैसा कठोर आदेश पादित किया गया है तथा रिसीवर नियुक्ति हेतु आवश्यक परिस्थितियों बाबत कोई विवेचन नहीं किया गया है। प्रकरण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना–पत्र में निहित था फिर भी उन्हें जवाब का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मंदिर मूर्ति की खातेदारी में स्थित है तथा मूर्ति शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आती है जिसकी भूमि का संरक्षण करने का दायित्व राज्य सरकार का है।इसी उद्वेश्य को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश उचित तौर पर पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7–उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।अधिनस्थ न्यायलाय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा यह कथन करते हुए कि वादग्रस्त भूमि मंदिर की खातेदारी भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण नाजायज

अतिक्रमण करने की कोशिश में है अतः उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे तथा भूमि को सुरक्षा हेतु कब्जे राज में लिया जावे। इस पर अप्रार्थीगण सख्या 07 व 09 एवं 01 व 08 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में दिये गये कथनों से अस्वीकृति जाहिर की गई है।दिनांक 31/01/2014 को पत्रावली शेष अप्रार्थीगण के जवाब हेतु नियत की गई है। उक्त दिवस को अन्य अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाकर उसी दिन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि '' हमने वकील अपीलार्थी की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसके हितों की रक्षा किया जाना न्याय संगत हैं।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवेचन कर प्रार्थी का प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्ती के आदेश पारित किये गये है।न्यायालय द्वारा अपनी विवेचना में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्रों पर में किये गये कथनों पर कोई विवेचना नहीं की गई है।रिसीवर नियुक्ति हेतु भूमि को वेस्ट करने, डेमेज करने तथा अलाईनेट करने की संभावना आदि के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया हैं।न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20–02–2014 द्वारा प्रार्थीगण महेश व बालू अप्रार्थगण सख्या 03 व 04 के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 दिये जाने के उपरान्त उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकृत कर अपीलाधीन आदेश को स्थगित किया जा चुका है तथा वर्तमान में पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु लम्बित चल रही है।इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा अपीलाधीन आदेश को स्थगित किया जा चुका है तथा वह वर्तमान में प्रभावी नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर प्रकरण उभयपक्ष की सुनवाई उपरान्त निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। वैकल्पिक रूप से यह भी अनुतोष चाहा गया है कि वादग्रस्त के निर्णय तक भूमि धारा 212 (2) के अन्तर्गत अपीलान्टस के कब्जे काश्त में यथावत रखी जावे। चूंकि प्रकरण वर्तमान में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) के निस्तारण हेतु लम्बित है तथा रिसीवर नियुक्ति के आदेश को स्थगित किया जा चुका है ऐसेमें अपीलाधीन आदेश को यथावत रखे जाने की आवश्यकता नही है।अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31/01/2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुना जाकर प्रकरण में यथाशीघ्र गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 14–03–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर